प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2— समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः— 626 /वि0कार्य0/लो0ग्रा0आ0/2013 दिनांक 22 मार्च, 2013

विषयः— लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत कतिपय बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

कृपया लोहिया ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन विषयक शासनादेश संख्याः—107/38—4—2013—05 (बजट)/2012, दिनांक 20.02.2013 तथा धनराशि के आवंटन विषयक शासनादेश संख्याः—288/38—4—12—02बजट/2012 टी0सी0, दिनांक 08.03.2013 एवं शासनादेश संख्याः—161/ 26—ब0प्र0—2013—01 बजट/2013, दिनांक 20.03.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित शासनादेशों के संबंध में निम्नलिखित 02 बिन्दुओं पर कार्यवाही तत्काल किया जाना अपेक्षित हैः—

1— डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चिन्हित समग्र ग्रामों में लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत जिन लाभार्थियों का चयन किया गया है, उनका शत—प्रतिशत सत्यापन जनपद स्तर से 03 सदस्यीय समिति गठित कर इस समिति के माध्यम से तत्काल कर लिया जाए। इस समिति द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। लाभार्थियों के चयन में और उनकी पात्रता के संबंध में भविष्य में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो समिति का प्रत्येक सदस्य इसके लिए उत्तरदायी होगा।

2— शासनादेश में शासी निकाय की बैठक के अनुमोदनोपरांत लाभार्थियों के खातों में धनराशि के हस्तान्तरण के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि समय की कमी को दृष्टिगत रखते हुए बाई सरकुलेशन अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(के0 रविन्द्र नायक)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांकः— 626 /वि0कार्य0/लो0ग्रा0आ0/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

(के0 रविन्द्र नायक)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।